

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आव्हद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

291/2024

13.06.2024

03.07.2024

उनवान

1. सोनाथ पुत्र बक्षु गाडरी उम्र-वयस्क निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा राजस्थान

- प्रार्थी

बनाम

1. जमना पिता बक्षु गाडरी उम्र-वयस्क निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा राजस्थान
2. लादु पिता गणेश गाडरी उम्र-वयस्क निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा राजस्थान
3. जयराम पिता लाला जाट उम्र-वयस्क निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा राज0
4. जवाना पिता लाला जाट उम्र-वयस्क निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा राज0
5. रामचन्द्र पिता लाला जाट उम्र-वयस्क निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा राज0
6. रायमल पिता लाला जाट उम्र-वयस्क निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा राज0
7. टेकु पुत्री लाला जाट उम्र-वयस्क निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा राज0
8. गोपीकिशन पिता गोस्धनदास मन्त्री उम्र वयस्क निवासी नेहरू रोड भीलवाडा राजस्थान
9. जमनी पत्नी मांगू जाट उम्र-वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज0
10. जगदीश पिता सुखा जाट उम्र-वयस्क निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा
11. मैसर्स शिवकृपा एन्टरप्राइजेज साझेदारा फर्म 26 से 29 ईन्द्र प्रस्थ टावर श्याम की सब्जी मण्डी भीलवाडा
12. धन्ना पिता नारायण जाट उम्र-वयस्क निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा
13. भैरू पिता नारायण जाट उम्र-वयस्क निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी कमलेश ओझा

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-


Ghad
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा


संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 224 की अभिलिखित आराजियात 45 कुल किता 01 कुल रकबा 1.4289 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 224 की अभिलिखित आराजियात 45 कुल किता 01 कुल रकबा 1.4289 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आब्हाद-निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर
भीलवाडा